राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : सामाजिक आवश्यकता एवं चुनौतियां

***डॉ विकास मिश्रा**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी-4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार उस राष्ट्र का मानव संसाधन होता है। कुशल व दक्ष मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार वहां की शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य उस राष्ट्र की शिक्षा नीति पर निर्भर करता है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार प्रमुखतः उसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही होती है।

भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी इसके सन् 1986 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी। वर्ष 1992 में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। बदलते सामाजिक परिवेश एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के कारण राष्ट्र को एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसके परिणाम स्वरूप 34 वर्ष के अंतराल के पश्चात् भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में एक नई शिक्षा नीति राष्ट्र को प्रदान की गई है जिसे हम संक्षेप में एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं।

'शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986/92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया।'[1]

---

* सहायक आचार्य, बी.एड. विभाग, अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वयन की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार हैं-

क्रमांक	**भाग का नाम**	**विवरण/ विषयवस्तु**
1	भाग- I स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आठ अध्यायों में स्कूल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी विभिन्न प्रावधानों का विवरण किया गया है। जिसमें प्रमुख रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के माध्यम से सीखने की नींव पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने, आनंददाई और रुचिकर अधिगम सुनिश्चित करने, समता मूलक और समावेशी शिक्षा, शिक्षक के उत्तरदायित्व एवं अन्य विषय, स्कूल परिसर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस के साथ ही स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन के संबंध में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
2	भाग- II उच्चतर शिक्षा	इस भाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा पर विशेष फोकस करते हुए इसको 11 अध्यायों के माध्यम से वर्णित किया गया है। इसमें गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसमें संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र और बहुविषयक शिक्षण संस्थान, सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग, प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय, उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त एकेडमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व के संबंध में व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है।
3	भाग- III अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे	इस भाग के अंतर्गत 05 अध्यायों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, भारतीय भाषाओं कला और संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारण करने हेतु व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है।
4	भाग- IV क्रियान्वयन की रणनीति	इस भाग को 03 अध्यायों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जिसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, सभी के लिए बहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सापेक्ष वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन को प्रस्तुत किया गया ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु किस प्रकार हैं-

1. **<u>स्कूल शिक्षा का नवीन प्रारूप (New Format for School Education)</u>-**

   यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को तीन से अठारह वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है।[2]

   निम्नांकित बार डायग्राम के माध्यम से दोनों शैक्षणिक ढांचों के मूलभूत अंतर को आसानी से समझा जा सकता है।

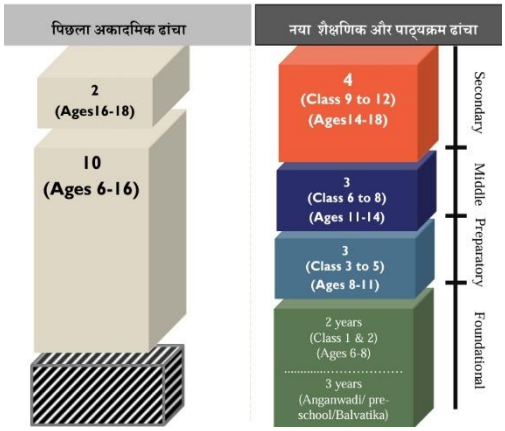

2. **<u>प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE)</u>**

   बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए एक्स में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। यह संभवत या संता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों।[3]

   एनईपी 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या **"बालवाटिका"** में स्थानांतरित हो जाएगा जिसमें एक ईसीसीई संचालन हेतु योग्य शिक्षक है।[4]

एनसीईआरटी द्वारा 08 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा जिसमें 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3-8 वर्ष के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा।[5]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान में चल रहे आगनवाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक 03 वर्ष की शिक्षा से जोड़ने की बात कही गई है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार 75 जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों वाले प्राथमिक विद्यालयों में अब एजुकेटर्स की भर्ती करने जा रही है। इन एजुकेटर्स को 10,313 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय प्राप्त होगा। 18 से 40 आयु वर्ग वाले होम साइंस से स्नातक अभ्यर्थियों को इस योजना में कार्य करने का मौका मिलेगा।

3. **<u>बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान</u>-**

द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर पर बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को भी दूर करने के उपाय शामिल होंगे।[6]

वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं जोकि एक बड़ा संकट है। सभी के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। विश्व भर के अध्ययनों से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सीखते हैं तो यह काफी प्रभावी होता है। इस प्रकार, प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर साथी छात्रों के लिए पियर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। इसमें समाज की भी अहम भूमिका हो सकती है। यदि समाज का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्रा को पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहन और समर्थन मिलेगा।

4. **<u>शिक्षक</u>-**

शिक्षक ही है जो बच्चों के भविष्य को आकार देता है। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। परिणाम स्वरुप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्ससाह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवस्था में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

5. **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India- HECI)-**

देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग एक एकल नियामक के रूप में कार्य करेगा। आयोग में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। यह आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा के अतिरिक्त वोट शिक्षा के क्षेत्र में एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र इस प्रकार होंगे-

क्रमांक	निकाय का नाम	कार्य क्षेत्र
1	**NHERC**- National Higher Education Regulatory Council	यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक का कार्य करेगा।
2	**GEC**- General Education Council	यह उच्च शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणाम का ढांचा तैयार करेगा और उनके लिए मानक निर्धारण का कार्य भी करेगा।
3	**NAC**- National Accreditation Council	यह उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
4	**HEGC**- Higher Education Grants Council	यह निकाय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए वित्त-पोषण का कार्य करेगा।

6. **राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (National Education and Technology Forum -NETF)**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित नेट सही दिशा में एक कदम है। शिक्षण व शिक्षण वितरण के सभी आयामों में गुणवत्ता वाले एड-टेक उपकरण संस्थाओं को जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करने, फायर वालों को अपने और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम के अलावा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित साइबर सुरक्षा लचीलेपन के साथ 'ओपन-सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफार्म' पर स्वदेशी एड-टेक टूल को होस्ट करने की आवश्यकता है। यह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करेगा।[7]

7. **भारतीय भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेशन (Incubation of Indian Knowledge System in Education)-**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर बल दिया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसी के अनुसार राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCF) ने छात्रों को प्राचीन भारतीय विज्ञान और कला से संबंधित पाठ्यक्रम लेकर क्रेडिट प्राप्त करना संभव किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अधीन कुछ पारंपरिक भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने की पहल

भी की गई है। वर्तमान समय में प्रमुख रूप से कृषि एवं वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में भारतीय ज्ञान परम्परा के लिए निर्धारित राशि बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार, स्नातक तथा परास स्नातक स्तर पर छात्रों के संपूर्ण क्रेडिट का पांच प्रतिशत भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रमों से होना चाहिए। सन 2025 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 15 लाख शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रशिक्षण देगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी आरंभ किया गया है। इस आठ दिवसीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेंसटाइजेशन प्रोग्राम में विभिन्न कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं।[8]

8. **<u>प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता (Preference of Mother tongue/ Local Languages in Primary Education)</u>-**

   नई शिक्षा नीति 1986 में त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा को शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने का कार्य किया गया था परंतु उसे नीति के उचित क्रियान्वयन के अभाव में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा को अपना उचित स्थान न मिल सका। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा को विशेष प्राथमिकता देने के प्रावधान करने पर बल दिया गया है तथा अनुशंसा की गई है कि आगे भी इसको आठवीं कक्षा तक महत्व प्रदान करने के प्रयास किए जाएं।

9. **<u>व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन (Encouragement of Vocational Education)</u>-**

   पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पाठ्यक्रम में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का समावेश हो और इसके साथ ही साथ उसे विषय विशेष की शिक्षा और व्यावहारिक अभ्यास की शिक्षा को भी शामिल किया जाए। अन्य समस्त उच्चतर शिक्षा से जुड़े विषयों की तरह ही इसके केंद्र में भी तार्किक और अंतःविषयी सोच, विमर्श, चर्चा, अनुसंधान और नवाचार को शामिल किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यावसायिक विकास से जुड़ी शिक्षा बाकी विषयों से कटी या अलग-थलग ना रहे।

   बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012- 2017) के अनुमान के अनुसार 19- 24 आयुवर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत कम ही प्रतिशत अर्थात् लगभग पांच फीसदी लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है जब के संयुक्त राज्य अमेरिका में 52 फ़ीसदी, जर्मनी में 75 फीसदी और दक्षिण कोरिया में 96 फ़ीसदी लोगों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता के साथ रेखांकित करती है।

   व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में कमी का एक प्रमुख करण यह है कि व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11- 12 और कक्षा 08 अथवा उसके ऊपर की कक्षा के ड्रॉपआउट्स पर ही

केंद्रित रही है। इसके अलावा, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के पास उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश मानदंड भी वेबसाइट शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किए गए थे जिसके कारण वह अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष मुख्य धारा की शिक्षा या अकरम्मिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है और इसके लिए आवश्यक होगा की समस्त शिक्षण संस्थान चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करें और इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो, जो कि फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से भी परिचित हो। ऐसा करने के परिणाम स्वरुप वह श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा।[9]

देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के **'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय'** (Multidisciplinary Education and Research Universities-**MERU**) की स्थापना की जाएगी।

10. **<u>इंटर्नशिप के माध्यम से आर्थिक सबलता एवं कौशल विकास (Economic Strength and Skill Development through Internship)-</u>**

    विदेशी शिक्षा नीतियों में इंटर्नशिप को विशेष महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा नीति से प्रेरित होकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इंटर्नशिप के कांसेप्ट को लागू करने की प्रबल आवश्यकता पर बल देती है। इसका मानना है कि इंटर्नशिप के माध्यम से विद्यार्थियों में दक्षता एवं व्यावसायिक कुशलताओं का विकास होगा तथा विद्यार्थियों को आर्थिक सबलता भी मिलेगी, जिससे आर्थिक बोझ में कमी आएगी।

11. **<u>अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अर्थात् एबीसी द्वारा क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा (Credit Transfer Facility through Academic Bank of Credit/ ABC)-</u>**

    एकेडमिक बैंक का क्रेडिट के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा किसी पाठ्यक्रम विशेष में प्राप्त किए गए क्रेडिट को अन्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार एबीसी के माध्यम से विद्यार्थियों अर्जित क्रेडिट को डिजिटल फॉर्म में संरक्षित किया जाएगा। किसी एक पाठ्यक्रम में प्राप्त क्रेडिट को दूसरे पाठ्यक्रम में भी विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार प्रयोग कर सकेगा।

12. **<u>मल्टीपल लेवल एंट्री एंड एग्जिट की सुविधा (Multiple Level Entry and Exit Facility)</u>-**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीप्ल एंट्री एंड एक्जिस्ट व्यवस्था को अपनाया गया है इस व्यवस्था के अनुसार तीन या चार वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें अध्ययन में बिताई गई अवधि के अनुसार डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। 01 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 02 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 03 वर्षों के बाद स्नातक की उपाधि तथा 04 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।

13. **<u>डिजिटल/ ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा व प्रशिक्षण को प्रोत्साहन (Encouragement to Education and Training through Digital/Online Medium)-</u>**

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल/ ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा व प्रशिक्षण को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसको सशक्त बनाने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में **'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'** (National Educational Technology Forum- NETF) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन, योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वय का कार्य करेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (NDL) आदि से सहायता प्रदान की जाएगी।

14. **<u>शैक्षणिक उन्नयन व निर्देशन-परामर्श हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात् एआई का प्रयोग (Use of Artificial Intelligence/ AI in Educational Upliftment and Guidance& Councelling)-</u>**

    विद्यार्थियों के शैक्षिक पुण्य नियम तथा निर्देशन एवं परामर्श हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

<u>राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रमुख चुनौतियां</u>

गौरतलब यह भी है कि हम भारतीय लोग लोग किसी भी नीति को बनाने में विश्व में सबसे अग्रणी है जबकि उसके क्रियान्वयन के संबंध में सबसे पीछे हैं। यही कारण है कि 34 वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात् भी नई शिक्षा नीति 1986 की अधिकांश अनुशंसाओं को हम पूर्ण रूप से लागू करने में अक्षम रहे हैं और यही कारण है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दे रहे हैं जबकि वर्ष 1986 में ही त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से इसकी प्रबल अनुशंसा की गई थी। इसी प्रकार अन्य अनेकों ऐसी अनुशंसा हैं जिनको हमने अब तक पूरा नहीं किया है। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सैद्धांतिक पक्ष देखते हैं तो यह एक बहुत उत्कृष्ट नीति साबित होगी तथा हमें विश्व में अग्रणी बनने से कोई नहीं रोक सकता है परंतु इसके व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देने से पता चलता है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या, सरकारी व निजी तंत्र में व्याप्त

भ्रष्टाचार, दक्ष मानव संसाधन का अभाव, आर्थिक बोझ एवं स्ववित्त पोषित/ निजी शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता आज कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं, जिन पर यदि समय रहते विचार न किया गया तो यह स्वर्णिम भविष्य देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक राष्ट्रीय शिक्षा आपदा का रूप भी ले सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जन कल्याणकारी गंगा के समान है जिसको सरकार अपने भागीरथ प्रयासों द्वारा जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराना चाहती है तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रही है। परंतु यदि राज्य सरकार एवं समाज ने इस जन कल्याणकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सहयोग नहीं किया तो उचित प्रबंधन के अभाव में यह एक बाढ़ का रूप भी ले सकती है।

अत: यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रूपी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेज के सफल क्रियान्वयन हेतु धरातल स्तर पर कार्य करते हुए एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे विकसित भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सुनिश्चित किया जा सके।

<u>संदर्भ सूची</u>

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पेज सं0- 06.
2. वही, पेज सं0- 08
3. वही, पेज सं0- 09
4. वही, पेज सं0- 10
5. वही, पेज सं0- 09
6. वही, पेज सं0- 13
7. एम0के0 राजपूत, *उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि*, राष्ट्रीय संगोष्ठी स्मारिका-2023, डॉ राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय कानपुर, पेज संख्या- 43.
8. https://hi.wikipedai.org/wiki/भारतीय_ज्ञान_परंपरा
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पेज सं0- 71.